राज्यसभा के लिये नामित 4 सदस्य

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिये साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषज्ञों के रूप में 4 व्यक्तियों **हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन** और **सी. सदानंदन मास्टर** को नामित किया है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से अधिकतम 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

राज्यसभा के लिये नामांकित 4 प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में मुख्य बिंदु:

- **हर्षवर्धन श्रृंगला:** पूर्व विदेश सचिव और वर्ष 1984 बैच के IFS अधिकारी, जिन्होंने अमेरिका, थाईलैंड में **राजदूत और बांग्लादेश में उच्चायुक्त** के रूप में कार्य किया।
  - **"हाउडी मोदी" कार्यक्रम (2019)** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारत की G20 अध्यक्षता (2023) के मुख्य समन्वयक रहे। रणनीतिक मामलों, **बहुपक्षीय कूटनीति और विदेश नीति-निर्माण** में विशेषज्ञता के लिये जाने जाते हैं।
- **उज्ज्वल निकम: 26/11 मुंबई हमले, 1993 बॉम्बे बम विस्फोट और खैरलांजी नरसंहार** जैसे प्रमुख मामलों में विशेष लोक अभियोजक।
  - वे आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख, अदालत में उत्कृष्ट कौशल और न्याय के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं।
- **मीनाक्षी जैन:** दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर, जिनका अध्यापन का अनुभव **30 से अधिक वर्षों** का है। NCERT मध्यकालीन इतिहास की पाठ्यपुस्तक की लेखिका।
  - उन्हें **पद्मश्री पुरस्कार (2020)** से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) की पूर्व सदस्य और **भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR)** से भी जुड़ी रही हैं।
  - भारतीय सभ्यता, धार्मिक पहचान और वैकल्पिक इतिहास लेखन में योगदान के लिए जानी जाती हैं।
- **सी. सदानंदन मास्टर:** केरल के एक पूर्व शिक्षक, स्तंभकार और राजनेता। वर्ष 1994 में एक भीषण राजनीतिक हमले में गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके कारण वे शारीरिक रूप से अक्षम हो गए।

राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया क्या है?

- **राज्यसभा के बारे में:** राज्यसभा (राज्यों की परिषद) भारतीय संसद का उच्च सदन है, जिसका गठन [संविधान के अनुच्छेद 80] के तहत किया गया है।
  - इसका पहली बार गठन वर्ष **1952** में हुआ था। यह एक **स्थायी सदन** है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हालाँकि, प्रत्येक **दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त** होते हैं और वे पुनः चुनाव या पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होते (इसकी कोई सीमा नहीं है) हैं।
  - हालाँकि संविधान में सदस्यों के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** के अनुसार, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल **6 वर्ष** निर्धारित किया गया है।
- **राज्यसभा के सदस्य: राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमे से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80(1)(a) के अंतर्गत नामांकित किये जाते हैं।**
  - अनुच्छेद 80(3) के अनुसार, नामांकित सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये।
    - हालाँकि खेल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे "कला" की श्रेणी में शामिल मानते हुए सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम जैसी हस्तियों को नामांकित किया गया है।
- **राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव:**
  - **निर्वाचक मंडल:** राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य **अप्रत्यक्ष रूप से केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों (विधायकों)** द्वारा चुने जाते हैं। यह चुनाव **आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली** के तहत **एकल संक्रमणीय मत (Single**

Transferable Vote - STV) प्रणाली से होता है।

- **नामित विधायक और विधान परिषद (MLC) के सदस्य** इन चुनावों में **मतदान का** अधिकार नहीं रखते है।

◦ **जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटन:** राज्यसभा की सीटें **राज्यों की जनसंख्या** के आधार पर आवंटित की जाती हैं।

- उदाहरण के लिये, **उत्तर प्रदेश** को **31 सीटें** मिली हैं जबकि **गोवा** को केवल **1 सीट**।

- **चुनाव की प्रक्रिया:**
  - **STV के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली:** राज्यसभा के सदस्य **निर्वाचित विधायकों (MLAs)** द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** और **सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (STV)** प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। विजयी होने के लिये आवश्यक मतों (कोटा) की गणना इस प्रकार की जाती है:
    - **कोटा = (कुल वैध मत ÷ (उपलब्ध सीटों की संख्या + 1)) + 1**
  - **वरीयता मतदान प्रणाली:** MLAs उम्मीदवारों को वरीयता क्रम (1, 2, 3...) में अंकित करते हैं। जो उम्मीदवार प्रथम वरीयता वोटों से कोटा पूरा कर लेता है, उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि उसके पास कोटे से अधिक वोट होते हैं, तो अतिरिक्त (सरप्लस) वोट अगली वरीयताओं के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं।
  - **उन्मूलन और स्थानांतरण:** यदि कोई भी उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता है, तो **सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार** को बाहर कर दिया जाता है तथा उसके वोट **शेष उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर हस्तांतरित** किये जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सभी सीटें भर नहीं जातीं।

क्रॉस-वोटिंग और कानूनी प्रावधान:

- राज्यसभा चुनावों में **क्रॉस-वोटिंग** पर अंकुश लगाने के लिये, 2003 में **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951** में संशोधन करके ओपन **बैलेट प्रणाली लागू** की गई। अब पार्टी के विधायकों को मतदान करने के बाद अपना मतपत्र पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना अनिवार्य है, अन्यथा वह मत अमान्य हो जाता है।
  - **स्वतंत्र विधायक (Independent MLAs)** को अपना मत दिखाने की अनुमति नहीं होती, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और पार्टी अनुशासन सुनिश्चित होता है।
- **क्रॉस-वोटिंग** तब होती है जब किसी विधानमंडल का सदस्य अपनी पार्टी के **उम्मीदवार के बजाय किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार** को मत देता है।

राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ:

- राज्यसभा को संविधान के तहत कुछ ऐसी **विशेष शक्तियाँ** प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं हैं।
- **अनुच्छेद 249** के अंतर्गत, यदि **राष्ट्रीय हित** में आवश्यक हो, तो राज्यसभा **संसद को राज्य सूची में विधायन करने की अनुमति** दे सकती है। इसके अतिरिक्त, **अनुच्छेद 312** के तहत, राज्यसभा **केंद्र और राज्य दोनों के लिये समान अखिल भारतीय सेवाओं (All-India Services)** के निर्माण को **अधिकृत** कर सकती है।

अन्य संबंधित लेख

- क्रॉस वोटिंग क्या है?
- क्या दल-बदल विरोधी कानून राज्यसभा चुनावों पर लागू होता है?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियाँ हैं: (वर्ष 2020)

(a) नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने में
(b) संविधान में संशोधन
(c) सरकार को हटाना
(d) कट मोशन लाना

उत्तर: (B)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2016)

1. लोकसभा में लंबित कोई विधेयक सत्रावसान पर समाप्त हो जाता है।
2. राज्यसभा में लंबित एक विधेयक, जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के भंग होने पर व्यपगत नहीं होगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) दोनों 1 और 2
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (B)

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

1. राज्य सभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है।
2. राज्य सभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है।
3. राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/4-members-nominated-to-rajya-sabha